



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175720

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29345 वर्ष 2026

लव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: सुखेन्दु पाल सिंह

प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुखेन्दु पाल सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 0036 वर्ष 2026, धारा 127(7), 103(2), 238(बी), 61(2) एवं 140(1) बी.एन.एस., थाना राया, जिला मथुरा के अंतर्गत, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का चचेरा भाई है और झूठे आरोप के आधार पर उसे मृतका के मामा अर्थात् सह-आरोपी सूरजपाल सहित अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं और संदेह के अतिरिक्त उसके विरुद्ध कोई ठोस एवं ग्राह्य साक्ष्य नहीं है, जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ सके।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अत्यंत विस्तृत एवं तर्कपूर्ण आदेश द्वारा मृतका के मामा सह-आरोपी सूरजपाल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.7.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया गया है और उसके जमानत आदेश को पेपर बुक के पृष्ठ 205 पर संलग्न किया गया है तथा आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 28.2.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले पांच माह से अधिक समय से।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. यद्यपि आवेदक का नाम अन्य लोगों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है और आरोप के अनुसार उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या उसके मामा अर्थात् सह-आरोपी सूरजपाल के साथ मिलकर की, लेकिन अभिलेख पर यह परिलक्षित होता है कि संदेह के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस एवं ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
10. आगे, मृतका के मामा सह-आरोपी सूरजपाल को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है और तथ्यों के आधार पर आवेदक का मामला उसके समान है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 28.2.2026 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले पांच माह से अधिक समय से।
12. अतः उपर्युक्त चर्चित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
14. आवेदक-लव को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

20 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”